न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।
जमानत आवेदन संख्या–413 / 2026
छातापुर थाना कांड संख्या–144 / 2026

1. मो0 नौशाद, उम्र–41 वर्ष, पिता–मो0 एसानुल,
2. नौसेर, उम्र–40 वर्ष, पिता–मो0 एसानुल,
साकिन–इन्दरपुर, थाना–छातापुर, जिला–सुपौल.....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

23.06.2026

कराधीन आवेदक अभियुक्तगण **मो0 नौशाद एवं नौसेर** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन, जो छातापुर थाना कांड संख्या–144 / 2026 अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 76, 303(2), 351(2), 352, 3(5) बी0एन0एस0 से संबंधित है, को आज प्रचालित किया गया तथा न्यायालय द्वारा सुना गया। आवेदक अभियुक्तगण दिनांक–17.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में संसीमित है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 रजी अहमद एवं आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह को सुना।

अभियुक्त आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन के पूर्व कोई जमानत आवेदन न तो विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं हैं। आवेदक अभियुक्तगण के द्वारा विचारण न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे सुनवाई के पश्चात् दिनांक–23.05.2026 को विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। जिससे क्षुब्द होकर आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं तथा इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। प्रस्तुत वाद में सूचिका ने अन्य व्यक्ति के द्वारा स्वलिखित आवेदन में यह लिखकर आरोप लगायी है कि अभियुक्तगण जान मारने की नीयत से सूचिका के पुत्रों के उपर जानलेवा हमला किया। सूचिका एवं आवेदक अभियुक्तगण के बीच जमीन संबंधी विवाद चल रहा है तथा दोनों पक्षकार आपस में दियाद हैं। सूचिका ने आवेदकगण के पूर्वजों की जमीन को हड़पने के नियत से अभियुक्तगण के उपर दबाव बनाने हेतु यह मुकदमा किया है, ताकि तंग वो परेशान होकर आवेदकगण के पूर्वजों वाली जमीन सूचिका के नाम लिख दें। आवेदक अभियुक्तगण को राजनीति के तहत साजिश वो षड्यंत्र के तहत प्राथमिकी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त आवेदक दिनांक–17.05.2026 से जेल हाजत में बंद है। आवेदक अभियुक्तगण जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे एवं वह बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उन्हें नियमित जमानत प्रदान करने की कृपा की जाए।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।
जमानत आवेदन संख्या–413 / 2026
छातापुर थाना कांड संख्या–144 / 2026

आवेदक अभियुक्तगण, सूचिका आसमा खातुन के लिखित आवेदन के आधार पर संस्थित छातापुर थाना कांड संख्या–144 / 2026 अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 76, 303(2), 351(2), 352, 3(5) बी0एन0एस0 का प्राथमिकी अभियुक्तगण है। लिखित आवेदन में आरोप है कि दिनांक–16.05.2026 को समय करीब 03 बजे दिन में सूचिका का लड़का अपने घर से पश्चिम खेत में मकई तोड़वा रहा था कि अचानक मो0 नौशाद, मो0 नौसेर, मो0 समसाद, मो0 आलम ने फरसा, रॉड, तलवार लेकर खेत में आया और मारपीट करने लगा। मो0 नौशाद ने अपने हाथ में लिये फरसा से जान से मारने के नीयत से मेरे लड़का मो0 इकबाल के सर पर प्रहार किया, जिससे उसका सर कट गया और जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। मो0 नौशेर ने तलावार से इनके दूसरे लड़का मो0 दिलशाद को जान से मारने की नीयत से वार किया, जिससे उसका सर कट गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। दिलशाद की पत्नी को मो0 शमसाद ने बुरी तरह से मारकर जख्मी कर दिया और उसका दांया हाथ का अंगूठा टूट गया। शरीर से चांदी का जेवर 25 भरी का खींच लिया एवं उन्हें अर्द्धनग्न कर पीटा।

आवेदक अभियुक्त दिनांक–17.05.2026 से कारा में संसीमित है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 रजी अहमद नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं और खारिज करने की मांग करते हैं।

उभय पक्ष को सुना तथा अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है और इनके विरूद्ध सूचिका के दोनों लड़का को फरसा, रॉड, तलवार से मारपीट कर जख्मी कर देने एवं दिलशाद की पत्नी को मो0 शमसाद ने बुरी तरह से मारकर जख्मी देने तथा शरीर से चांदी का जेवर 25 भरी का खींच लेने एवं अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका–2 में वादिनी का पुर्नबयान अंकित है, जिसमें इन्होंने प्राथमिकी में वर्णित घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। कंडिका–6 एवं 7 में साक्षियों का बयान दर्ज है, जिन्होंने अपने–अपने बयान में प्राथमिकी में वर्णित घटना का समर्थन किया है। कंडिका–19, 20 एवं 21 में स्वतंत्र साक्षीगण क्रमशः सेख समरूद्दीन, मो0 मेराजुल एवं मो0 सहदाब आलम का बयान अंकित हैं, जिसमें इन्होंने अपने बयान में प्राथमिकी में वर्णित घटना का आंशिक रूप से समर्थन करते हुए कहा है कि अभियुक्तगण सिर्फ लाठी–डंडा एवं गाली–गलौज करते हुए वादिनी के भाई मो0 इकबाल को मारपीट किया तथा मो0 शमसाद ने दिलशाद की पत्नी को मारकर उनका दांया हाथ का अंगूठा को जख्मी कर दिया। प्रस्तुत वाद में अनुसंधानकर्ता के द्वारा जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। प्राथमिकी एवं स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर लाठी–डंडे से मारपीट हुआ था। मारपीट के क्रम में

हाथ के अंगूठा में जख्म होने की बात प्रकाश में आयी है। प्रस्तुत वाद में अनुसंधानकर्ता के द्वारा आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक इतिहास के बारे में विवरण नहीं दिया गया है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये अन्य आरोप अलंकारिक प्रतीत होता है। आवेदक अभियुक्तगण दिनांक–17.05.2026 से कारा में संसीमित है। ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्तगण को और अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों, विशेषतः आवेदक अभियुक्तगण के द्वारा कारा में बिताई गई अवधि को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें नियमित जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप आवेदक अभियुक्तगण यथा **मो0 नौशाद एवं नौसेर** को विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर मो0–10,000 / –(दस हजार रुपये) के दो प्रतिभूओं के साथ बंध–पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ नियमित जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्तगण का एक जमानतदार निकट संबंधी होंगे तथा अभियुक्त आवेदक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे और वाद के निष्पादन में सहयोग करेंगे और साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करने पर विद्वान विचारण न्यायालय आवेदक अभियुक्तगण का बंध–पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

लेखापित

Sd/-
(तेज प्रताप सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।